संख्या- 21/2020/13/22-4-2020-48(9)/19

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 मार्च, 2020

विषय- प्रदेश की 05 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आजमगढ, चित्रकूट तथा बरेली में सुरक्षा उपायों का उन्नयन कर उच्च सुरक्षा कारागार बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33463/आधु0-2/05 जेल/2019, दिनांक 15 नवम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या-75/आधु0-2/05 जेल/2019, दिनांक 02 जनवरी, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश की 05 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आजमगढ, चित्रकूट तथा बरेली में सुरक्षा उपायों का उन्नयन कर उच्च सुरक्षा कारागार बनाये जाने के लिए आवश्यक निर्माण कराये जाने तथा उपकरणों एवं मशीनों की व्यवस्था निम्न विवरणानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 20,35,45,000/-(रूपया बीस करोड. पैंतिस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपया लाख में)

क्र0	उपकरण/कार्यो का नाम	सख्ंया	लागत प्रति	प्रस्तावित लागत
1	नॉन लिनियर जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी)	05	19,09,240	95.46
2	डयूल स्केनर बैगेज	05	47,14,100	235.70
3	फुल हयूमेन बाडी स्नेकर	05	1,77,00,000	885.00
4	मुलाकात घर हेतु कान्टेक्ट लेस ग्लास	130	3,50,000	455.00
5	ड्राने कैमरा	05	4,79,999	24.00
6	बाडी वार्म कैमरे	25	59,000	14.75
7	नाइट विजन बाइनाकुलर	05	3,97,000	19.85
8	उच्च क्षमता के हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर	25	24,000	6.00
9	कन्सरटीना फेन्सिंग	10039 मीटर	1,960 प्रति मीटर	196.76
10	पावर कन्ट्रोल हैवी डयूटी स्टैब्लाइजर सिस्टम	05	12,50,000	62.50
11	जिला कारागार लखनऊ में सी0सी0टी0 कैमरों की संख्या तथा सहवर्ती उपकरणों में विस्तार	48 कैमरे	40,00,000	40.00
			योग	**2035.45**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 07 अगस्त, 2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GEM) के माध्यम से किया जायेगा।

(2) उपकरण/सामग्री के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त उपकरण/सामग्री की आपूर्ति भारत सरकार अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा नहीं की गयी है। किसी भी दोहरी स्वीकृति एवं अनियमितता के लिए महानिरीक्षक कारागार उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त उपकरण/सामग्री के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/कारागार विभाग पूर्णत: संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण केवल क्रय की जा रही वस्तु के गुणवत्तायुक्त आपूर्ति के बाद आपूर्तिकर्ता को शासनादेश संख्या-ए-961/दस/2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 के अनुसार किया जायेगा।

(6) उपकरण/सामग्री के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरण/सामग्री का क्रय न किया जाय। किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपकरण/सामग्री का क्रय दिनांक 31 मार्च 2020 तक निश्चित कर लिया जाय। यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में समर्पित किया जाय।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-846/दस/2020, दिनांक-30 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2020/13(1)/22-4-2020-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।